[2021] 3 उम. नि. प. 321

कप्तान सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 787]

13 अगस्त, 2021

न्यायमूर्ति (डा.) धनंजय वाई. चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, 329, 386 और 406] – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति – दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना – जहां किसी दांडिक मामले में कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए धारा 482 के अधीन आवेदन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत के प्रक्रम पर फाइल किया गया हो, उस दशा में केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत में किए गए अभिकथनों पर इस बात पर विचार करने के लिए विचार करना अपेक्षित है कि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं किंतु जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता, अभियुक्तों और साक्षियों के कथन अभिलिखित कर लिए गए हैं, साक्ष्य एकत्रित कर लिया गया है और अन्वेषण/जांच पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल कर दिया गया है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में संज्ञान भी ले लिया गया है और गंभीर विचारणीय विवाद्यक प्रकट होते हैं, वहां उच्च न्यायालय द्वारा अन्वेषण के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्य पर विचार किए बिना अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाहियों को अभिखंडित करना न्यायोचित नहीं होगा और इस प्रक्रम पर मामले के गुणागुण पर विचार करना अपेक्षित नहीं है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि इस अपील में अपीलार्थी ने

प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एक परिवाद फाइल किया था और विद्वान् अपर मुख्य महानगर (मैट्रोपोलिटन) मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने आवेदन/परिवाद में वर्णित तथ्यों और दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात् और प्रथमदृष्ट्या एक संज्ञेय अपराध का मामला पाए जाने पर तथा यह मत व्यक्त करते हुए कि पुलिस को इसका अन्वेषण करना चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन उक्त आवेदन को मंजूर किया और संबंधित थाना भारसाधक अधिकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने और विधि के अनुसार इसका अन्वेषण करने का निदेश दिया । उसके पश्चात् संबंधित थाना भारसाधक अधिकारी ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों के अनुसार मुन्नी देवी एक भूखंड की स्वामिनी थी और उसने परिवादी-कप्तान सिंह (अपीलार्थी) को उक्त भूखंड की देखरेख करने के लिए अपना मुख्तारनामा धारक नियुक्त किया था । मुन्नी देवी उक्त भूखंड को बेचना चाहती थी और उसने ममता गुप्ता-प्रत्यर्थी सं. 3 के साथ 25,00,000/- रुपए के कुल विक्रय प्रतिफल के लिए एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार किया था । करार के समय क्रेता-ममता गुप्ता ने दो-दो लाख रुपए के पांच चैक सौंपे थे । मुन्नी देवी ने एक चैक अपने बैंक में प्रस्तुत किया और उक्त चैक "अपर्याप्त निधियों के कारण" अनादृत हो गया । जब चैक असंदत्त वापस आया तो मुन्नी देवी ने ममता गुप्ता से संपर्क किया और इसके पश्चात् उसने उसे यह सूचित किया कि उसके पति का गुर्दा खराब हो गया है और वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं और इसलिए वह उक्त भूखंड का क्रय करने में समर्थ नहीं होगी, तथापि, वह धन की व्यवस्था कर रही है । उसके पश्चात् ममता गुप्ता ने विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई और उसने मुन्नी देवी को चैकों को प्रस्तुत न करने के लिए सूचित किया । उसके पश्चात् मुन्नी

देवी ने रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा एक विधिक सूचना तामील की और यह सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ममता देवी ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसके पश्चात् मुन्नी देवी ने परिवादी को मुख्तारनामा धारक के रूप में नियुक्त किया । उसके पश्चात् जब परिवादी अपने एक मित्र के साथ भूखंड पर गया तो उस समय ममता गुप्ता और उसका पति वहां पर अन्य व्यक्तियों के साथ मौजूद थे । परिवादी ने उन्हें बताया कि उन्होंने प्रतिफल की पूरी रकम का संदाय नहीं किया है तथा कमरे पर बलपूर्वक ताला लगा दिया है और उनसे उक्त ताला खोलने का अनुरोध किया । उस समय पर ममता गुप्ता और उसके पति ने उन्हें यह कहा कि उन्होंने दो लाख रुपए का संदाय किया है और वे उस समय तक ताला नहीं खोलेंगे जब तक उन्हें दस लाख रुपए नहीं मिल जाएंगे । उसके साथ मारपीट की गई और अभिकथित रूप से एक कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करवाए गए । उसके पश्चात्, अन्वेषण पूर्ण होने पर और साक्षियों के कथन, परिवादी का कथन अभिलिखित करने तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात् और स्वतंत्र साक्षियों तथा अभियुक्त व्यक्तियों के भी कथन लेने के पश्चात् और सम्यक् जांच के पश्चात् तथा यह समाधान होने पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्तों-प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया । उसके पश्चात् प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त आवेदन को मंजूर किया और संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियों को मुख्य रूप से इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि मूल परिवादी-कप्तान सिंह सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए इस सौदे में एक बाह्य और पर-व्यक्ति है और इसलिए उसकी प्रेरणा पर आरंभ की गई दांडिक कार्यवाहियों को जारी नहीं रखा जा सकता और मुन्नी देवी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित कोई मुख्तारनामा प्रति-शपथपत्र के साथ फाइल नहीं किया

गया था और यह भी आधार लिया कि विवाद एक सिविल प्रकृति का है और पक्षकारों के बीच सिविल वाद लंबित हैं तथा मुन्नी देवी और ममता देवी द्वारा हस्ताक्षरित नोटरीकृत शपथपत्र की सत्यता और असलियत पर सिविल कार्यवाहियों में विचार किया जा सकता है और इसलिए कोई संपत्ति नहीं सौंपी गई थी इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता है । उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करते हुए पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल परिवादी द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जब उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया था, उस समय तक अन्वेषक अधिकारी ने साक्षियों के कथन, परिवादी का कथन अभिलिखित करने और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात् तथा स्वतंत्र साक्षियों के और यहां तक कि अभियुक्त व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित करने के पश्चात् विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल कर दिया था और यहां तक कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने भी संज्ञान ले लिया था । उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय ने अन्वेषण/जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री और यहां तक कि अभिलिखित किए गए कथनों पर विचार किया था । यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रक्रम पर हो, उस दशा में केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत में के अभिकथनों पर विचार किया जाना अपेक्षित है और इस बात पर विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं । तथापि, उसके पश्चात् जब कथन अभिलिखित कर लिए जाते हैं, साक्ष्य एकत्रित कर लिया जाता है और अन्वेषण/जांच के समापन के पश्चात् आरोप पत्र फाइल कर दिया

जाता है, तो मामले में एक भिन्न स्थिति हो जाती है और न्यायालय के लिए अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री/साक्ष्य पर विचार करना अपेक्षित है । यहां तक कि इस प्रक्रम पर भी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालय को अभिकथनों के गुणागुण पर इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए और/या मामले के गुणागुण में नहीं जाना चाहिए मानो उच्च न्यायालय अपीली अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो और/या विचारण कर रहा हो । उच्च न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन और उस पर यह विचार करने में असफल रहा था कि मामले में बहुत ही गंभीर विचारणीय विवाद्यक/अभिकथन हैं जिनका विचारण के समय पर परिशीलन और उन पर विचार किया जाना अपेक्षित है । उच्च न्यायालय ने उन महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की है जो अन्वेषण के दौरान प्रकट हुए थे । उच्च न्यायालय इस तथ्य का परिशीलन और उस पर विचार करने में असफल रहा है कि वह दस्तावेज अर्थात् ममता गुप्ता-अभियुक्त सं. 2 और मुन्नी देवी का एक संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र, जिसके अधीन अभियुक्त सं. 2-ममता गुप्ता ने 25 लाख रुपए का संदाय किया था और स्वयं उसे कब्जा अंतरित किया गया था, गंभीर रूप से विवादग्रस्त है । यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार में विक्रय प्रतिफल 25 लाख रुपए बताया गया है और सुश्री मुन्नी देवी को 25 लाख रुपए संदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है और कब्जा सौंपे जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है । तथापि, उसी तारीख अर्थात् तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र में विक्रय प्रतिफल 35 लाख रुपए बताया गया है जिसमें से 25 लाख रुपए का अभिकथित रूप से संदाय किया गया है और अभियुक्त सं. 2 को कब्जे का अंतरण किए जाने का उल्लेख है । 25 लाख रुपए का संदाय किया गया था या नहीं, इस बात को अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान सिद्ध करना होगा क्योंकि अभियुक्त उक्त दस्तावेज और तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र में यथा वर्णित 25 लाख रुपए के संदाय का अवलंब ले रहे हैं । इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि प्रथम

विक्रय करार जिसमें विक्रय प्रतिफल 25 लाख रुपए बताया गया है और इसमें चैकों द्वारा 10 लाख रुपए के संदाय का उल्लेख है । यह एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है । पूर्वोक्त सभी विवाद्यक/अभिकथन विचारणीय हैं, जिन पर विचारण के समय विचार किया जाना अपेक्षित है । उच्च न्यायालय अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री की अवेक्षा और/या विचार करने में असफल रहा है । अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए इस निष्कर्ष का संबंध है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है, यह उल्लेखनीय है कि स्वयं उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि तारीख 27 अक्तूबर, 2010 का संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र गंभीर रूप से विवादग्रस्त है, तथापि, उच्च न्यायालय के अनुसार इस पर सिविल कार्यवाहियों में विचार किया जाना अपेक्षित है । इसमें उच्च न्यायालय ने गलती कारित की है । उच्च न्यायालय इस बात की अवेक्षा करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अभिकथित संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र की बाबत भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 471 के अधीन अपराधों के लिए एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई है । यहां तक कि अभियुक्तों का भी यह पक्षकथन है कि उन्हें कब्जा सौंपा गया था । तथापि, जब संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र में यथा वर्णित 25 लाख रुपए का संदाय गंभीर रूप से विवादग्रस्त है और दो-दो लाख रुपए के 5 चैकों में से एक चैक भी अनादृत हो गया था और अभियुक्तों के अनुसार उन्हें कब्जा सौंप दिया गया था (जो कि गंभीर रूप से विवादग्रस्त है), इसे संपत्ति का सौंपा जाना कहा जा सकता है । अत: इस प्रक्रम पर यह राय व्यक्त करना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता है, समय-पूर्व है और पूर्वोक्त पहलू पर विचारण के दौरान विचार किया जाना चाहिए । यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रथम वाद मुन्नी देवी द्वारा फाइल किया गया था और उसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वाद अभियुक्तों द्वारा फाइल किया गया था और वह भी केवल स्थायी व्यादेश के लिए । अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद फाइल किया गया था । जो भी स्थिति हो, सभी पूर्वोक्त पहलुओं पर केवल विचारण

के समय पर विचार किया जाना अपेक्षित है । अत: उच्च न्यायालय ने अभिकथनों के गुणागुण में इस प्रकार प्रवेश करके मानो उच्च न्यायालय अपीली अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था और/या विचारण कर रहा था, दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके गंभीर गलती की है । उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया है । यहां तक कि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करके भी गलती की है कि मूल परिवादी का कोई सुने जाने का अधिकार नहीं है । पूर्वोक्त मताभिव्यक्ति इस आधार पर की गई है कि परिवादी ने अभिलेख पर उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए प्रत्युत्तर के साथ मुख्तारनामा प्रस्तुत नहीं किया है । तथापि, जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मुन्नी देवी ने मुख्तारनामा निष्पादित किया था और उसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण किया था तथा परिवादी, अभियुक्तों और स्वतंत्र साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे, उसके पश्चात् परिवादी के पास मुख्तारनामा है या नहीं, इस पर विचारण के दौरान विचार किया जाना चाहिए । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश असंधार्य है तथा इसे अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए तथा इसे तद्नुसार अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । (पैरा 9.1, 10, 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 10 एस. सी. सी. 686 : **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** बनाम **अरविंद खन्ना** ;	6.2
[2019]	(2019) 10 एस. सी. सी. 337 : **एक्सवाईजेड** बनाम **गुजरात राज्य** ;	6.2

[2019] (2019) 18 एस. सी. सी. 191 :
धुवराम मुरलीधर सोनार बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 6.2

[2019] (2019) 19 एस. सी. सी. 87 :
तेलंगाना बनाम **मनगीपेट** ; 6.2

[2018] (2018) 3 एस. सी. सी. 104 :
दिनेशभाई चंदूभाई पटेल बनाम **गुजरात राज्य** ; 6.2

[1992] (1992) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 335 :
हरियाणा राज्य बनाम **भजन लाल** । 8.1

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 787.

2016 के आवेदन सं. 1697 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 29 जुलाई, 2020 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री संतोष कुमार पांडेय

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अंकित गोयल और अवनीश पांडेय

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – मूल परिवादी ने यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 482 के अधीन 2016 के आवेदन सं. 1697 में तारीख 29 जुलाई, 2020 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना बर्रा, जिला कानपुर नगर में के भारतीय दंड संहिता की धारा, 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन 2015 के दांडिक मामला सं. 3302, जो प्रथम अपर मुख्य महानगर (मैट्रोपोलिटन) मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के न्यायालय में लंबित है, में की संपूर्ण कार्यवाहियों को अभिखंडित कर दिया गया था ।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन विद्वान्

मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एक परिवाद फाइल किया था ; विद्वान् अपर मुख्य महानगर (मैट्रोपोलिटन) मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने आवेदन/परिवाद में वर्णित तथ्यों और दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात् और प्रथमदृष्ट्या एक संज्ञेय अपराध का मामला पाए जाने पर तथा यह मत व्यक्त करते हुए कि पुलिस को इसका अन्वेषण करना चाहिए, तारीख 7 सितंबर, 2015 के आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन उक्त आवेदन को मंजूर किया और संबंधित थाना भारसाधक अधिकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने और विधि के अनुसार इसका अन्वेषण करने का निदेश दिया ।

2.1 उसके पश्चात् संबंधित थाना भारसाधक अधिकारी ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए 2015 के अपराध मामला सं. 645 के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों के अनुसार मुन्नी देवी 387 वर्ग फुट माप के भूखंड सं. 1342 जो डब्ल्यू ब्लॉक 2 योजना जूही कला, दामोदर नगर में था, की स्वामिनी थी ; उसने परिवादी-कप्तान सिंह को उक्त भूखंड की देखरेख करने के लिए अपना मुख्तारनामा धारक नियुक्त किया था ; मुन्नी देवी उक्त भूखंड को बेचना चाहती थी ; उसने ममता गुप्ता-प्रत्यर्थी सं. 3 के साथ तारीख 10 अक्तूबर, 2010 को 25,00,000/- रुपए के कुल विक्रय प्रतिफल के लिए एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार किया था ; करार के समय क्रेता-ममता गुप्ता ने आईसीआईसीआई बैंक, शाखा गोविंद नगर, कानपुर के नाम लिखे गए दो-दो लाख रुपए के पांच चैक सौंपे थे ; मुन्नी देवी ने एक चैक सं. 502314, तारीख 15.11.2010 अपने बैंक में प्रस्तुत किया और उक्त चैक "अपर्याप्त निधियों के कारण" अनादृत हो गया ; जब चैक असंदत्त वापस आया तो मुन्नी देवी ने ममता गुप्ता से संपर्क किया और इसके पश्चात् उसने उसे यह सूचित किया कि उसके पति का गुर्दा खराब हो गया है और वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं और इसलिए वह उक्त भूखंड का क्रय करने में समर्थ नहीं होगी, तथापि, वह धन की व्यवस्था कर रही है ; उसके पश्चात् ममता गुप्ता ने विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए

कोई रुचि नहीं दिखाई और उसने मुन्नी देवी को चैकों को प्रस्तुत न करने के लिए सूचित किया । उसके पश्चात् मुन्नी देवी ने रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा तारीख 2 जनवरी, 2015 और 18 मई, 2015 को एक विधिक सूचना तामील की ; तारीख 18 मई, 2015 की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ममता देवी ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसके पश्चात् मुन्नी देवी ने परिवादी को तारीख 5 अगस्त, 2015 को मुख्तारनामा धारक के रूप में नियुक्त किया ।

2.2 यह अभिकथित है कि उसके पश्चात् जब परिवादी अपने मित्र राम प्रताप सिंह के साथ 20 अगस्त, 2015 को भूखंड पर गया, उस समय ममता गुप्ता और उसका पति वहां पर टिन की शैड के बाहर तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मौजूद थे । परिवादी ने उन्हें बताया कि उन्होंने प्रतिफल की पूरी रकम का संदाय नहीं किया है तथा कमरे पर बलपूर्वक ताला लगा दिया है और उनसे उक्त ताला खोलने का अनुरोध किया । उस समय पर ममता गुप्ता और उसके पति ने उन्हें यह कहा कि उन्होंने दो लाख रुपए का संदाय किया है और वे उस समय तक ताला नहीं खोलेंगे जब तक उन्हें दस लाख रुपए नहीं मिल जाएंगे । यह अभिकथित है कि सभी व्यक्तियों ने परिवादी को उसकी माता और बहन के संबंध में गंदी भाषा का प्रयोग करके गालियां दीं और परिवादी को धक्का दिया जिसके कारण वह गिर गया और उसके पश्चात् उसकी मुक्कों से पिटाई की गई तथा ममता गुप्ता ने, जो चाकू जैसा आयुध लिए हुए थी, उसके नुकीले भाग को उसकी छाती पर रख दिया और एक कोरा कागज दिया तथा उसे उस पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी और कहा कि यदि उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे जान से मार दिया जाएगा तथा परिवादी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए । परिवादी ने चिकित्सा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की । उसके पश्चात्, अन्वेषण पूर्ण होने पर और साक्षियों के कथन, परिवादी का कथन अभिलिखित करने तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात् और स्वतंत्र साक्षियों तथा अभियुक्त व्यक्तियों के भी कथन लेने के पश्चात् और सम्यक् जांच के पश्चात् तथा यह समाधान होने पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए प्रथमदृष्ट्या

मामला बनता है, अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 26 नवंबर, 2015 को प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विरुद्ध पूर्वोक्त अपराधों के लिए 2015 का आरोप पत्र सं. 320 फाइल किया ।

2.3 उसके पश्चात् प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दांडिक कार्यवाइयों को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन किया । धारा 482 के अधीन याचिका में सभी अभियुक्तों-प्राइवेट प्रत्यर्थियों का यह अभिकथन था कि विवाद एक सिविल प्रकृति का है ; मुन्नी देवी ने तारीख 27 अक्तूबर, 2010 को ममता गुप्ता के साथ क्रेता के रूप में एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार किया था ; मुन्नी देवी ने पूर्वोक्त भूखंड की भूमि का पूर्ण स्वामित्व कराने और उसके पश्चात् ममता गुप्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने का वचन दिया था ; चैक और नकद के रूप में तुरंत भागत: संदाय किया गया था और दस लाख रुपए की शेष रकम विक्रय विलेख के निष्पादन के समय पर संदत्त की जानी थी ; उसी तारीख को ममता गुप्ता और मुन्नी देवी का एक संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र भी निष्पादित किया गया था जिसमें ममता गुप्ता द्वारा 25 लाख रुपए का संदाय करने और ममता गुप्ता को कब्जे का अंतरण करने का उल्लेख किया गया था ; कब्जा अभिप्राप्त करने के पश्चात् ममता गुप्ता ने उक्त भूखंड पर दो कमरे के मकान का निर्माण किया था । अभियुक्तों की ओर से यह भी पक्षकथन था कि उसके पश्चात् मुन्नी देवी ने पूर्ण स्वामित्व नहीं कराया और चूंकि ममता गुप्ता का पति गुर्दा खराब होने की बीमारी से ग्रस्त था और डायलिसिस पर था, वह विनिर्दिष्ट पालन के लिए विधिक कार्यवाहियां आरंभ नहीं कर सकी थीं ; उसके पश्चात् मुन्नी देवी ने सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) कानपुर नगर के न्यायालय में एक वाद फाइल किया । प्राइवेट प्रत्यर्थियों-अभियुक्तों की ओर से यह भी पक्षकथन था कि चूंकि मुन्नी देवी को निचले न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली, इसलिए वह एक भू-माफिया-मूल परिवादी-इस अपील में अपीलार्थी से संपर्क किया और वह मुन्नी देवी का मुख्तारनामा धारक था तथा जब वह तारीख 25 अगस्त, 2015 को भूखंड पर गया था तो उसे बाहर कर दिया गया था और उस पर हमला किया गया था । उसके पश्चात् ममता गुप्ता ने सिविल

न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) कानपुर नगर के न्यायालय में स्थायी व्यादेश के लिए एक वाद, 2015 का मूल वाद सं. 2077, फाइल किया जिसमें ममता देवी के पक्ष में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया गया था और उक्त आदेश अभी भी प्रवर्तन में है । अत: यह दलील दी गई कि विवाद पूरी तरह से एक सिविल प्रकृति का है और दांडिक कार्यवाहियां ममता गुप्ता पर भूखंड को परिवादी को सौंपने के लिए केवल दबाव बनाने की दृष्टि से फाइल की गई हैं, यद्यपि ममता गुप्ता ने प्रश्नगत भूखंड के स्वामी को 25 लाख रुपए की राशि का संदाय किया था । इसलिए संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने का अनुरोध किया गया ।

3. धारा 482 के अधीन याचिका का मूल परिवादी द्वारा विरोध किया गया । मूल परिवादी की ओर से एक विस्तृत शपथपत्र/प्रति शपथपत्र फाइल किया गया । परिवादी की ओर से विनिर्दिष्ट रूप से यह पक्षकथन था कि दस्तावेज, जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वे तारीख 27 अक्तूबर, 2010 को मुन्नी देवी द्वारा ममता गुप्ता के पक्ष में निष्पादित किए गए थे/तारीख 27 अक्तूबर, 2010 का पश्चात्वर्ती नोटरीकृत दस्तावेज जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 25 लाख रुपए का संदाय कर दिया गया है और कब्जा ममता गुप्ता को सौंप दिया गया है, कूटरचित हैं । यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्वोक्त के लिए उनके विरुद्ध तारीख 4 दिसंबर, 2015 को एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना, बर्रा, जिला कानपुर नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अधीन 2015 के अपराध मामला सं. 816 के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई थी और अन्वेषण अभी चल रहा है । यह भी दलील दी गई कि ममता गुप्ता द्वारा विद्युत का कनेक्शन कपटपूर्ण रीति में अभिप्राप्त किया गया था और बाद में विद्युत विभाग, कानपुर द्वारा तारीख 18 अगस्त, 2015 को उक्त विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से काट दिया गया था और आज तक प्रश्नगत परिसर में विद्युत का कोई कनेक्शन विद्यमान नहीं है । यह भी दलील दी गई कि अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् और अभियुक्तों के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया था और विद्वान् मजिस्ट्रेट ने न्यायिक रूप से अपने

मस्तिष्क का प्रयोग करने के पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया था । इसलिए यह अनुरोध किया गया कि धारा 482 के अधीन आवेदन को खारिज कर दिया जाए ।

4. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त आवेदन को मंजूर किया और संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियों को मुख्य रूप से इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि मूल परिवादी-कप्तान सिंह सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए इस सौदे में एक बाह्य और पर-व्यक्ति है और इसलिए उसकी प्रेरणा पर आरंभ की गई दांडिक कार्यवाहियों को जारी नहीं रखा जा सकता है ; मुन्नी देवी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित कोई मुख्तारनामा प्रति-शपथपत्र के साथ फाइल नहीं किया गया था और यह भी आधार लिया कि विवाद एक सिविल प्रकृति का है और पक्षकारों के बीच सिविल वाद लंबित हैं तथा मुन्नी देवी और ममता देवी द्वारा हस्ताक्षरित नोटरीकृत शपथपत्र की सत्यता और असलियत पर सिविल कार्यवाहियों में विचार किया जा सकता है और इसलिए कोई संपत्ति नहीं सौंपी गई थी इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता है । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करने के पश्चात् कि अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन कोई मामला नहीं बनता है, यह भी मत व्यक्त किया कि शेष अभिकथन किसी संपुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में मुख्य अभिकथन से विषयांतर हैं ।

5. उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करते हुए पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल परिवादी ने प्रस्तुत अपील फाइल की है ।

6. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री संतोष कुमार पांडेय ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को

अभिखंडित करके गंभीर गलती कारित की है । यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय को इस तथ्य का मूल्यांकन और उस पर यह विचार करना चाहिए था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी द्वारा उसका अन्वेषण किया गया था और पूरी तरह से अन्वेषण करने के पश्चात् और साक्षियों के कथन अभिलिखित करने तथा साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात् और यहां तक कि स्वतंत्र साक्षियों के कथनों तथा अभियुक्त व्यक्तियों के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् और जांच करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया था और उसके पश्चात् ही विद्वान् मजिस्ट्रेट ने भी संज्ञान लिया था । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करते समय पूर्वोक्त पहलू पर कतई विचार नहीं किया गया था ।

6.1 यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय इस बात का मूल्यांकन और विचार करने में असफल रहा है कि इस मामले में जो विवादास्पद मुद्दे हैं उन पर केवल विचारण के समय विचार किया जा सकता है ।

6.2 यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के प्रक्रम पर अभिकथनों के गुणागुण पर विचार किया था । यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को अभिकथनों के गुणागुण पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार विचारण के समय पर किया जाना अपेक्षित है । **दिनेशभाई चंदूभाई पटेल** बनाम **गुजरात राज्य**[1], **धुवराम मुरलीधर सोनार** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2], **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** बनाम **अरविंद खन्ना**[3], **तेलंगाना** बनाम **मनगीपेट**[4]

---

[1] (2018) 3 एस. सी. सी. 104.

[2] (2019) 18 एस. सी. सी. 191.

[3] (2019) 10 एस. सी. सी. 686.

[4] (2019) 19 एस. सी. सी. 87.

और **एक्सवाईजेड** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का जोरदार अवलंब लिया गया ।

6.3 यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **एक्सवाईजेड** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, जब शिकायत में गंभीर विचारणीय अभिकथन हों, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करना अनुचित है ।

6.4 यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय यह मूल्यांकन और विचार करने में असफल रहा है कि सिविल कार्यवाहियां आरंभ में मुन्नी देवी द्वारा प्रारंभ की गई थी और उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 2 ने केवल स्थायी व्यादेश के लिए वाद फाइल किया था और विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद फाइल नहीं किया था । यह दलील दी गई कि इसलिए तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के संयुक्त नोटरीकृत दस्तावेज की कूटरचना करने के बहुत ही गंभीर अभिकथन हैं जिसके द्वारा अभियुक्तों ने अभिकथित रूप से मुन्नी देवी को 25 लाख रुपए दिए थे । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन और विचार करने में असफल रहा था कि प्रस्तुत मामले में एक ही तारीख अर्थात् 27 अक्तूबर, 2010 के दो दस्तावेज हैं, एक ऐसे दस्तावेज के रूप में रजिस्ट्रीकृत है जिसमें विक्रय प्रतिफल 25 लाख रुपए बताया गया है और तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के उसी तारीख के दूसरे दस्तावेज में विक्रय प्रतिफल 35 लाख रुपए बताया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि 25 लाख रुपए मुन्नी देवी को संदत्त कर दिए गए हैं । यह दलील दी गई कि 25 लाख रुपए के संदाय और यहां तक कि तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के संयुक्त नोटरीकृत करार पर विचारण के समय विचार किया जाना चाहिए । यह दलील दी गई कि अत: जब गंभीर विचारणीय विवाद्यक हैं, तो उच्च न्यायालय ने दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके न्यायोचित नहीं किया है ।

---

[1] (2019) 10 एस. सी. सी. 337.

7. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अंकित गोयल ने अपीलार्थी-मूल परिवादी का समर्थन किया ।

8. प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अमित कुमार सिंह ने प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने दांडिक कार्यवहियों को अभिखंडित करके कोई गलती कारित नहीं की है ।

8.1 यह दलील दी गई कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही मत व्यक्त किया गया है, यह मामला पूरी तरह से अपवादों के अंतर्गत आता है जैसा कि **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है ।

8.2 यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में कोई संपत्ति नहीं सौंपी गई थी और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन कोई अपराध कारित किए जाने का प्रश्न ही नहीं है । अत: यह दलील दी गई कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के लिए संघटकों का समाधान नहीं होता है और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही मत व्यक्त किया गया है कि तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के दस्तावेजों की असलियत पर सिविल कार्यवाहियों में विचार किया जाना चाहिए और इन पर दांडिक कार्यवाहियों में विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है, उच्च न्यायालय ने दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके पूरी तरह से न्यायोचित किया है । यह दलील दी गई कि सिविल विवाद को दांडिक विवाद में संपरिवर्तित किए जाने की कोशिश की गई है जिसे विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के सिवाय कुछ और नहीं कहा जा सकता है ।

8.3 प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि प्रस्तुत मामले में

---

[1] (1992) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 335.

चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो अब इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था । अत: यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोई चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने और अन्यथा भी चिकित्सा रिपोर्ट में वर्णित क्षतियां साधारण प्रकृति की होने के कारण अन्य अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए उच्च न्यायालय ने ठीक ही दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया था ।

8.4. यह भी दलील दी गई कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, यहां तक कि मूल परिवादी को परिवाद फाइल करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि मुन्नी देवी द्वारा अभिकथित रूप से निष्पादित कोई मुख्तारनामा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

8.5 उपरोक्त दलीलें देते हुए इस अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

9. संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

9.1 प्रारंभ में, यह उल्लेख करना होगा कि प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित कर दिया था । यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि जब उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया था, उस समय तक अन्वेषक अधिकारी ने साक्षियों के कथन, परिवादी का कथन अभिलिखित करने और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात् तथा स्वतंत्र साक्षियों के और यहां तक कि अभियुक्त व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित करने के पश्चात् विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के अधीन अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल कर दिया था और यहां तक कि

विद्वान् मजिस्ट्रेट ने भी संज्ञान ले लिया था । उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय ने अन्वेषण/जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री और यहां तक कि अभिलिखित किए गए कथनों पर विचार किया था । यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रक्रम पर हो, उस दशा में केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत में के अभिकथनों पर विचार किया जाना अपेक्षित है और इस बात पर विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं । तथापि, उसके पश्चात् जब कथन अभिलिखित कर लिए जाते हैं, साक्ष्य एकत्रित कर लिया जाता है और अन्वेषण/जांच के समापन के पश्चात् आरोप पत्र फाइल कर दिया जाता है, तो मामले में एक भिन्न स्थिति हो जाती है और न्यायालय के लिए अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री/साक्ष्य पर विचार करना अपेक्षित है । यहां तक कि इस प्रक्रम पर भी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालय को अभिकथनों के गुणागुण पर इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए और/या मामले के गुणागुण में नहीं जाना चाहिए मानो उच्च न्यायालय अपीली अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो और/या विचारण कर रहा हो । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **दिनेशभाई चंदूभाई पटेल** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, इस बात की परीक्षा करने के लिए क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तथ्यात्मक अंतर्वस्तुओं से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं, उच्च न्यायालय अन्वेषक अभिकरण की तरह कार्य नहीं कर सकता है और न ही अपील न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । यह भी मत व्यक्त किया गया और अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रश्न की परीक्षा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं और प्रथमदृष्ट्या सामग्री, यदि कोई है, को ध्यान में रखते हुए और किसी सबूत की अपेक्षा न करते हुए की जानी चाहिए । ऐसे प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता है और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं और अवलंब ली गई सामग्री से स्वयं अपना कोई निष्कर्ष

निकाल सकता है । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि इससे भी बढ़कर बात यह है कि जब अवलंब ली गई सामग्री विवादग्रस्त हो । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि ऐसी किसी स्थिति में ऐसे प्रक्रम पर यह कार्य अन्वेषक प्राधिकारी का हो जाता है कि वह जांच करे और उसके पश्चात् जब एक बार ऐसी सामग्री सहित आरोप पत्र फाइल कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रश्नों की परीक्षा करने का कार्य न्यायालय का है कि ऐसी सामग्री का कितना और किस सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है ।

9.2 **ध्रुवराम मुरलीधर सोनार** (उपर्युक्त) वाले मामले में **भजन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग एक अपवाद है न कि एक नियम । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता यद्यपि व्यापक है, तो भी इसका प्रयोग यदा-कदा, सावधानीपूर्वक और सचेत होकर केवल तब करना चाहिए जब ऐसी शक्ति का प्रयोग करना स्वयंमेव धारा में विनिर्दिष्ट रूप से अधिकथित कसौटियों द्वारा न्यायोचित लगता हो । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के प्रक्रम पर साक्ष्य का मूल्यांकन करना अनुज्ञेय नहीं है । इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का मत इसमें ऊपरनिर्दिष्ट किए गए **अरविंद खन्ना** (उपर्युक्त), **मनगीपेट** (उपर्युक्त) और **एक्सवाईजेड** (उपर्युक्त) वाले मामलों में व्यक्त किया गया है ।

9.3 प्रस्तुत मामले के तथ्यों को इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चयों में अधिकथित विधि को लागू करते हुए हमारी यह राय है कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है ।

10. उच्च न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन और उस पर यह विचार करने में असफल रहा था कि मामले में बहुत ही गंभीर विचारणीय विवाद्यक/अभिकथन हैं जिनका विचारण के समय पर परिशीलन और उन पर विचार किया जाना अपेक्षित है । उच्च न्यायालय ने उन महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की है जो अन्वेषण के दौरान प्रकट हुए थे । उच्च न्यायालय इस तथ्य का परिशीलन और उस पर विचार करने में असफल रहा है कि वह दस्तावेज अर्थात् ममता गुप्ता-अभियुक्त सं. 2 और मुन्नी देवी का एक संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र, जिसके अधीन अभियुक्त सं. 2-ममता गुप्ता ने 25 लाख रुपए का संदाय किया था और स्वयं उसे कब्जा अंतरित किया गया था, गंभीर रूप से विवादग्रस्त है । यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार में विक्रय प्रतिफल 25 लाख रुपए बताया गया है और सुश्री मुन्नी देवी को 25 लाख रुपए संदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है और कब्जा सौंपे जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है । तथापि, उसी तारीख अर्थात् तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र में विक्रय प्रतिफल 35 लाख रुपए बताया गया है जिसमें से 25 लाख रुपए का अभिकथित रूप से संदाय किया गया है और अभियुक्त सं. 2 को कब्जे का अंतरण किए जाने का उल्लेख है । 25 लाख रुपए का संदाय किया गया था या नहीं, इस बात को अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान सिद्ध करना होगा क्योंकि अभियुक्त उक्त दस्तावेज और तारीख 27 अक्तूबर, 2010 के संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र में यथावर्णित 25 लाख रुपए के संदाय का अवलंब ले रहे हैं । इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि प्रथम विक्रय करार जिसमें विक्रय प्रतिफल 25 लाख रुपए बताया गया है और इसमें चैकों द्वारा 10 लाख रुपए के संदाय का उल्लेख है । यह एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है । पूर्वोक्त सभी विवाद्यक/अभिकथन विचारणीय हैं, जिन पर विचारण के समय विचार किया जाना अपेक्षित है । उच्च न्यायालय अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री की अवेक्षा और/या विचार करने में असफल रहा है ।

11. अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए इस निष्कर्ष का संबंध है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के

अधीन कोई अपराध नहीं बनता है, यह उल्लेखनीय है कि स्वयं उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि तारीख 27 अक्तूबर, 2010 का संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र गंभीर रूप से विवादग्रस्त है, तथापि, उच्च न्यायालय के अनुसार इस पर सिविल कार्यवाहियों में विचार किया जाना अपेक्षित है । इसमें उच्च न्यायालय ने गलती कारित की है । उच्च न्यायालय इस बात की अवेक्षा करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अभिकथित संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र की बाबत भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 471 के अधीन अपराधों के लिए एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई है । यहां तक कि अभियुक्तों का भी यह पक्षकथन है कि उन्हें कब्जा सौंपा गया था । तथापि, जब संयुक्त नोटरीकृत शपथपत्र में यथा वर्णित 25 लाख रुपए का संदाय गंभीर रूप से विवादग्रस्त है और दो-दो लाख रुपए के 5 चैकों में से एक चैक भी अनादृत हो गया था और अभियुक्तों के अनुसार उन्हें कब्जा सौंप दिया गया था (जो कि गंभीर रूप से विवादग्रस्त है), इसे संपत्ति का सौंपा जाना कहा जा सकता है । अत: इस प्रक्रम पर यह राय व्यक्त करना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता है, समय-पूर्व है और पूर्वोक्त पहलू पर विचारण के दौरान विचार किया जाना चाहिए । यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रथम वाद मुन्नी देवी द्वारा फाइल किया गया था और उसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वाद अभियुक्तों द्वारा फाइल किया गया था और वह भी केवल स्थायी व्यादेश के लिए । अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद फाइल किया गया था । जो भी स्थिति हो, सभी पूर्वोक्त पहलुओं पर केवल विचारण के समय पर विचार किया जाना अपेक्षित है । अत: उच्च न्यायालय ने अभिकथनों के गुणागुण में इस प्रकार प्रवेश करके मानो उच्च न्यायालय अपीली अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था और/या विचारण कर रहा था, दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके गंभीर गलती की है । उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया है ।

12. यहां तक कि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करके भी गलती की है कि मूल परिवादी का कोई सुने जाने का अधिकार नहीं है । पूर्वोक्त मताभिव्यक्ति इस आधार पर की गई है कि परिवादी ने अभिलेख पर उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए प्रत्युत्तर के साथ मुख्तारनामा प्रस्तुत नहीं किया है । तथापि, जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मुन्नी देवी ने मुख्तारनामा निष्पादित किया था और उसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण किया था तथा परिवादी, अभियुक्तों और स्वतंत्र साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे, उसके पश्चात् परिवादी के पास मुख्तारनामा है या नहीं, इस पर विचारण के दौरान विचार किया जाना चाहिए ।

13. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश असंधार्य है तथा इसे अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए तथा इसे तद्नुसार अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । अब, विचारण किया जाए और विधि के अनुसार तथा इसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर कार्यवाही की जाए । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तुत कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों को केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन कार्रवाइयों तक सीमित समझा जाए और विचारण न्यायालय मामले का विनिश्चय विधि के अनुसार और इसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर तथा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर और हमारे द्वारा इसमें ऊपर की गई किसी मताभिव्यक्ति से प्रभावित हुए बिना करे । तद्नुसार, यह अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.